कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 1586 /ओबरा/15 खनन दिनांक– 24-12-2020.

सेवा में,

मेंo अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिo,
डाला–सोनभद्र।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में 344.688हेo वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या–FP/UP/MON/47074/ 2020 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या–REF/UTLL/MIN/DCW/01, दिनांक–05.12.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा खनन कार्य हेतु इस वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688हेo वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर हार्ड कापी 06 प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि आप श्री अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला (मोoनंo 6394260298) से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत क्षेत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षो की गणना हेतु, संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 1586 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप मेंo अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिo, डाला–सोनभद के प्रतिनिधि से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत क्षेत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षो की गणना हेतु, संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/c

Recd.
24/XII/20

F:\New Folder\AM-5.Docx

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 2179/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक, 16-2-2021.

सेवा में,

मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
यूनिटः डाला सीमेंट वर्क्स,
डाला–सोनभद्र।

विषय :– जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या–FP/UP/MON/47074/2020.

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्र संख्या– REF/UTLL/MIN/DCW/01, दिनांक–05.12.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा खनन कार्य हेतु इस वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–कोटा व बिल्ली मारकुण्डी में कुल 344.688हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर हार्ड कापी 06 प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है। जिसके कम में दिनांक–13.02.2021 को आपके प्रतिनिधि श्री विवेक खोसला, फंग्सनल हेड, खनन, श्री डी0के0 पाण्डेय, जी0एम0 खनन, श्री प्रदीप शर्मा, सर्वेयर तथा श्री गौरव पाण्डेय, कन्सल्टेन्ट के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का मौके का निरीक्षण/जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि आपके लीज ऐरिया के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र ऐसा है जो धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन है, परन्तु प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है एवं कुछ क्षेत्र ऐसा है जो मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 से आच्छादित 1083.231हे0 क्षेत्र से आच्छादित नहीं है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि आपके लीज एरिया के अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र जो धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन है परन्तु आप द्वारा प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है, का विवरण (यथा ग्राम का नाम, गाटा संख्या व क्षेत्रफल) तथा आपके लीज एरिया के अन्तर्गत पड़ने वाले ऐसे क्षेत्र जो धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन है परन्तु मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 से आच्छादित 1083.231हे0 क्षेत्र से आच्छादित नहीं का का विवरण (यथा ग्राम का नाम, गाटा संख्या व क्षेत्रफल) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

F:\New Folder\AM-5.Docx

Scanned with CamScanner